प्रकाशन का 43 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/ shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 43 अंक – 17 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 16 – 23 अप्रैल 2018 मूल्य पांच रूपए

अवैध निर्माणों पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सरकार के लिये बना कसौटी

एक बड़ा सवाल

शिमला/शैल। शिमला में यदि हल्के स्तर का भी भूकंप आता है तो इससे कम से कम बीस हजार लोगों के मारे जाने की आशंका व्यक्त की है प्रदेश के आपदा प्रबन्धन विभाग ने अपनी एक संगोष्ठी में। ऐसी ही आशंका और चिन्ता प्रदेश उच्च न्यायालय ने उस समय व्यक्त की थी जब नेपाल में विनाशकारी भूकंप आया था। उस समय 2015 में शिमला के अवैध निर्माणों का स्वत: संज्ञान लेते हुए एक याचिका में उच्च न्यायालय ने य कहा था कि Further the respondents do not seem to have learnt any lesson from the recent earthquakes which have devastated the Himalayan region, particularly, Nepal. As per the latest studies, majority ofHimachal Pradesh falls in seismic Zone-V and the remaining in region-IV and yet this fact has failed to shake the authorities in Shimla out of their slumber. The quake-prone erstwhile summer capital of Raj cannot avert a Himalayan tragedy of the kind that has killed thousands and caused massive destruction in Nepal.

It has been reported that Shimla 's North slope of Ridge and open space just above the Mall that extends to the Grand Hotel in the West and Lower Bazar in the East is slowly sinking. We can only fasten the blame on the haphazard and illegal construction being carried out and all out efforts being made for converting the once scenic seven Himalayas of this Town into a concrete Jungle. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि 1983 से लेकर 2015 तक उसके पास शिमला में हुए अवैध निर्माणों को लेकर तीन जनहित याचिकायें आ चुकी हैं जिन पर अदालत की ओर से नियमों की अनुपालना को लेकर कड़े निर्देश जारी किये गये हैं। लेकिन इसे वाबजूद शिमला में 186 छ: से लेकर दस मंजिलो तक के भवनों का निर्माण हो चुका है जिनके नक्शे पास हैं या नही इसकी जानकारी ही नगर निगम को नही है।

लेकिन इस तरह आयी उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बावजूद सरकार ने 2016 के मानसून सत्र में फिर टीसीपी एक्ट में संशोधन करके इन अवैधताओं को और बढ़ावा देने की बात कर दी। उस समय भी अदालत ने इन अवैधताओं पर कड़ा संज्ञान लेते हुए यह कहा था कि Thousands of unauthorized constructions have not been raised overnight. The Government machinery was mute spectator by letting the people to raise unauthorized constructions and also encroach upon the government land. Permitting the unauthorized construction under the very nose of the authorities and later on regularizing them amounts to failure of constitutional mechanism/ machinery. The State functionary/machinery has adopted ostrich like attitude. The honest persons are at the receiving end and the persons who have raised unauthorized construction are being encouraged to break the law. This attitude also violates the human rights of the honest citizens, who have raised their construction in accordance with law. There are thousands of buildings being regularized, which are not even structurally safe.

The regularization of unauthorized constructions/ encroachments on public land will render a number of enactments, like Indian Forest Act 1927, Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1953 and Town and Country Planning Act, 1977 nugatory and otiose. The letter and spirit of these enactments cannot be obliterated all together by showing undue indulgence and favouritism to dishonest persons. The over-indulgence by the State to dishonest persons may ultimately lead to anarchy and would also destroy the democratic polity. उच्च न्यायालय की इस तलख टिप्पणी के बाद राज्यपाल ने काफी समय तक इस संशोधन को अपनी स्वीकृति प्रदान नही की। परन्तु जब कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही राज्यपाल पर इसे स्वीकृति देने का अलग-अलग आग्रह किया तो राजभवन को इसे स्वीकृति देनी पड़ी। यह सशोधन था ही एक वर्ष के लिये इस कारण इस पर ज्यादा चर्चा नही बढ़ी।

इसी बीच कसौली में हुए कुछ अवैध निर्माणो में पर्यावरण सारे मानदण्डो को अंगूठा दिखाने को लेकर Society for Preservation of Kasauli and its Environs ने एनजीटी में एक याचिका दायर कर दी। इस पर एनजीटी ने अपने आर्डर में यह कहा है कि The Officers present from the Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh are unable to answer the query of the Court. Let Town and Country Planner, Mr. Sandeep Sharma be present before the Tribunal, with complete records, on the next date of hearing.

Mr. Praveen Gupta, Sr. Environmental Engineer is present, who had granted the consent to the hotels. He had never visited the site before issuing the consent order dated 18th June, 2016.

Mr. Praveen Gupta and Mr. Anil Kumar, officers of the Board have produced the original records which have been directed to be retained in the court. We are shocked by the answers provided by the two officers to the queries of the Tribunal. According to them, there is no prescribed procedure in the Board for submission, processing and passing of the consent under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and any other matters falling in the jurisdiction of the Board. The Chairman and the Member Secretary of the Board who are present before the Tribunal stated that it is factually incorrect, as they have duly prescribed procedure for submission of Application, processing and passing of consent order.

Mr. Praveen Gupta and Mr. Anil Kumar, have submitted that no consent to hotels can be granted without actually verifying the intake and discharge from the said hotel. According to them, Hotel is a tourism industry. In the Application, it is noted that the industrial intake is zero. These officers did not verify the contents of the Application at all.

There is no inspection Report before the Tribunal which shows that actually inspection of the premises was conducted, even in the note put forward on 9th June, 2016. They shall be present on the next date of hearing. Narayani Guest House The owner has constructed six storied building as against the approved three storied and a parking floor. इसके बाद एनजीटी ने एक अन्य आदेश में प्रदेश के सारे Green forest और Core areas तथा राष्ट्रीय उच्च मार्गो के तीन मीटर के दायरे में सारे निर्माणों पर रोक लगाते हुए अपने आदेश में कहा कि "If such unplanned and indiscriminate development is permitted, there will be irreparatable loss and damage to the environment, ecology and natural resources on the one hand and inevitable disaster on the other"

"Beyond the core, green / forest area and the areas falling under the authorities of the Shimla Planning Area, the construction may be permitted strictly in accordance with the provisions of the Town and Country Planning Act. Development Plan and the Municipal laws in force. Even in these areas, construction will not be permitted beyond two storeys plus attic floor."

However, if any construction particularly public utilities (buildings like hospitals, schools and offices of essential services but would definitely not include commercial, private builders and any such allied buildings) are proposed to be constructed beyond two storeys plus attic floor then the plans for approval or obtaining NOC shall be submitted to the authorities concerned having jurisdiction over the area in question."

This committee shall also advise the state of Himachal Pradesh for regulating traffic on all roads, declaring prohibited zones for vehicular traffic, preventing and controlling pollution and for management of municipal solid waste in Shimla. The recommendation of this committee should be carried out by the state government and all its departments as well as local authorities without default and delay.

एनजीटी के समकक्ष यह आया है कि नगर निगम शिमला के क्षेत्र में आठ हजार से भी अधिक ऐसे निर्माण हुए हैं जिनके नक्शे तक सौंपे ही नही गये हैं। यह जानकारी भी इन लोगों ने स्वयं उस समय दी जब

शेष पृष्ठ 8 पर.....

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मिले मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से मुलाकात की और उनसे हिमाचल प्रदेश में जलवायुगत परिवर्तनों के मद्देनजर यहां के मूल्यवान प्राकृतिक

संसाधनों को बचाए रखने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई दो बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि केंद्र हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वनों व पारिस्थितिकीय संतुलन को बरकरार रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों को मजबूती प्रदान करने में पूरी मदद प्रदान करेगा और प्रदेश सरकार द्वारा इस उद्देश्य से जो भी परियोजनाएं तैयार करके केंद्र को भिजवाई जाएंगी, उनका विस्तृत अध्ययन करके तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश के पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से 1644 करोड़ 32 लाख की अनुमानित लागत के 2 परियोजनाएं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी गई हैं। इनमें 1125.32 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजना जल संरक्षण एवं प्राकृतिक जल संसाधनों के सामुदायिक प्रबंधन को लेकर है और दूसरी 492 करोड़ की परियोजना हिमाचल प्रदेश में जलवायुगत वन प्रबंधन पर आधारित है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (National Adaptation Fund for Climate Change) के तहत प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र को भेजी गई 57 करोड़ की तीन अन्य परियोजनाओं को भी मंजूरी प्रदान करने का आग्रह किया। इनमें प्रदेश के कुल्लू जिला में स्थित पार्वती घाटी में ग्लेशियरों के निरंतर सिकुड़ने और इससे बाढ़ के संभावित खतरे से निपटने के लिए 20.49 करोड़ की परियोजना, कुल्लू जिला के बंजार घाटी में जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत कृषि व बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 19.92 करोड़ की परियोजना व कुल्लू जिला में स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देकर वनों पर दबाव कम करके पारिस्थितिकी संतुलन को बरकरार रखने के लिए तैयार की गई 17.34 करोड़ की परियोजना शामिल है।

उद्योग मंत्री ने किया बीबीएनडीए का औचक निरीक्षण

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने सोलन जिले के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया तथा इस दौरान उन्होंने अनेक उद्योगों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने राज्य में चलाए

जा रहे ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 'स्वच्छ भारत पर्व' के मौके पर विभिन्न उद्योगों में स्वच्छता तथा प्रदूषण मानकों का बारिकी से जायजा लिया व निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि उद्योग मंत्री बिना पूर्व जानकारी के बीबीएनडीए पहुंचे थे।

उद्योग मंत्री ने क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल कम्पनियों, बैटरी निर्माण व होम एप्लाएन्सिज इत्यादि उद्योगों का दौरा किया और इन कम्पनियों में स्वच्छता संबंधी निरीक्षण के अलावा मजदूरों को सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार मजदूरी तथा भविष्य निधि में पंजीकरण जैसे पहलुओं की जानकारी प्राप्त की।

बिक्रम सिंह अपने साथ एक मोबाइल प्रयोगशाला को हायर कर इस क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों के उत्पादों के नमूने प्राप्त करने के लिये ले गए थे। उन्होंने विशेषकर कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट से नमूने लिए। इस संयंत्र का तरल सिरसा नदी में गिरता है और आस-पास के वातावरण तथा लोगों को स्वास्थ्य संबंधी अन्य किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न न हो, इस बारे उन्होंने संबंधित विभागों को कड़ाई से नियमों की पालना सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस संयंत्र से एकत्र किए गए नमूनों की शीघ्र जांच करने को कहा तथा अधिकारियों को किसी भी उद्योग व कंपनी द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन किए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री के साथ इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उद्योग तथा श्रम विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहें।

पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित

शिमला/शैल। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में एशियन विकास बैंक के अन्तर्ग विभिन्न परियोजनओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई,जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नन्दा ने की।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यटन के विकास के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनेक अनछुएं गन्तव्यों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा ताकि पर्यटकों का ध्यान प्रदेश की ओर आकर्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एशियन विकास बैंक के अन्तर्गत ऐसे स्थलों पर मूलभूत अधोसंरचना के विकास के लिए भारत सरकार को विशेष प्रस्ताव भेजेगी।

नन्दा ने कहा कि सरकार पर्यटन के माध्यम से प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर पर्यटन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

पहाड़ी राज्यों के लिए बनेगी विशेष परिवहन नीतिः गोविन्द ठाकुर

शिमला/शैल। गुवाहाटी में सम्पन्न हुई दो दिवसीय परिवहन मंत्री समूह की बैठक में परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने पहाड़ी राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उपायों, सड़क सुरक्षा, करों के एकीकरण, बसों के लिए राष्ट्रीय परमिट व्यवस्था, वाहन पंजीकरण तथा ड्राईविंग लाईसेंस की एकरूपता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर हिमाचल प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखा।

गोविन्द सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भिन्न भौगोलिक स्थितियों के अनुरूप राज्य के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थियों वाला पहाड़ी प्रदेश होने के बावजूद भी हिमाचल में नई तकनीकी के विभिन्न आयामों का प्रयोग करते हुए नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए प्रदेश निरंतर नई उंचाइयों की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अनेक वैधानिक एवं प्रशासनिक उपाय किए जा रहे हैं।

परिवहन मंत्री ने कहा कि विकट स्थितियों तथा जमीन के अभाव के चलते यहां रोपवे, स्काई बस, मोनो रेल जैसे वैकल्पिक यातायात के साधनों को विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवहन मंत्री समूह के सभी मंत्रियों ने उनके इस सुझाव को सराहा। उनके इसी सुझाव के चलते पहाड़ी राज्यों में इस प्रकार की परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए असम के परिवहन मंत्री चन्द्र मोहन पटवारी की अध्यक्षता में एक उप समूह का गठन किया गया, जो तय समय सीमा के भीतर मंत्री समूह को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा। गोविन्द सिंह ने बैठक के दौरान उपस्थित गणमान्यों को हिमाचल की संस्कृति, प्रा कृतिक सुन्दरता एवं देवसंस्कृति से भी अवगत करवाया। उन्होंने प्रदेश में राज्य सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल के दौरान विभिन्न उपलब्धियों का भी विवरण दिया। इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

केंद्र हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने में भरपूर सहयोग करेगा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री के.जे.अल्फोंस से मुलाकात की और उनसे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने, इको एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने व यहां के नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण व अछूते पर्यटन स्थलों को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से अंकित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई 300 करोड़ लागत की 3 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री को हिमाचल प्रदेश आने का निमंत्रण भी दिया और कहा कि वह स्वयं उन्हें प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर लेकर जाएंगे। के.जे. अल्फोंस ने सहर्ष मुख्यमंत्री का यह निमंत्रण स्वीकार किया।

केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार द्वारा इस पर्वतीय राज्य में पर्यटन संभावनाओं के दोहन व विस्तार के लिए भरपूर सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि हिमाचल प्रदेश शांत व प्रदूषण मुक्त परिवेश, अपनी समृद्ध संस्कृति व यहां के लोगों के मधुर व्यवहार व मेहमाननवाजी के कारण सैलानियों का प्रिय स्थल बनता जा रहा है और देवभूमि होने के कारण यहां के देवालय श्रद्धालुओं के आकर्षण व आस्था के केंद्र है।

केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री ने बैठक में उपस्थित अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के विस्तार व सम्भावनाओं के दोहन के बारे में राज्य के अधिकारियों को प्रेजेंटेशन के लिए दिल्ली बुलाएं।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री को कहा कि हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने अनुपम सौंदर्य प्रदान किया है और यह प्रदेश अपनी विविध भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत पूरा वर्ष सैलानियों को आकर्षित करता है। उन्होंने कहा प्रदेश में पर्यटन पर जितना फोकस होना चाहिए था, उतना इससे पहले नहीं हो पाया लेकिन अब राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और यहां के अछूते नैसर्गिक स्थलों में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार का यही प्रयास है कि घरेलू व विदेशी सैलानी यहां अधिकाधिक समय व्यतीत करें और यहां से मधुर स्मृतियां लेकर जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण, बाइकिंग, राफ्टिंग व पैरा ग्लाइडिंग सरीखे साहसिक पर्यटन व साहसिक खेलों के विस्तार की भी अपार संभावनाएं हैं और ऐसे साहसिक खेलों के लिए यह प्रदेश स्वर्ग माना जाता है।

उन्होंने कहा पर्यटन क्षेत्र में छिपी रोजगार की संभावनाओं के दोहन पर भी सरकार प्रमुखता से काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश धार्मिक पर्यटन का भी प्रमुख केंद्र है और यहां धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित होने से श्रद्धालुओं को और अधिक सुविधा हासिल होगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पर्यटन स्थलों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए केंद्र से उदारता से धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह भी किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री को हिमाचली शॉल व टोपी भेंट करके उनका अभिनंदन किया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक- जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार- ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना
सीता

मुख्यमंत्री ने शिमला से स्वच्छता जत्था किया रवाना

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ओक ओवर से ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत 'स्वच्छ भारत पर्व' के अवसर पर स्वच्छता जत्थे को रवाना किया। उन्होंने इस अवसर पर शिमला नगर निगम व साथ लगती पंचायतों के प्रतिनिधियों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र को स्वच्छ व सुन्दर बनाने के लिए स्वच्छता अभियान की एक महत्वकांक्षी पहल की है। उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज अभियान देश भर में आरम्भ किया गया और प्रदेश में इस अभियान को 14 अप्रैल से 5 मई तक चलाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों, विकासखण्डों तथा ग्राम पंचायतों को लाया जाएगा। जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश भर में विभिन्न गतिविधियां आरम्भ की गई हैं। उन्होंने प्रदेश के लोगों से इस अभियान को सफल बनाने के लिए तहे दिल से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे न केवल प्रदेश इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने वाला अग्रणी राज्य बनेगा, बल्कि इससे प्रदेश सुन्दर और स्वच्छ भी होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को स्वच्छता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए 20.50 करोड़ रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

ग्रामीण विकास सचिव डॉ. आर. एन. बत्ता, ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राकेश कंवर, नगर निगम शिमला की महापौर सुषमा सदरेट, उप महापौर राकेश कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

नियामक एजेन्सियां ईमानदारी से करें अपने दायित्व का निर्वहनः जस्टिस संजय करोल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल ने कहा कि दवाईयों के निर्माण, वितरण तथा निर्धारण में नियामक एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इन एजेन्सियों को अपने दायित्व का ईमानदारी के साथ निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम जनमानस को जेनेरिक दवाईयों के बारे में जागरूक किये जाने की आवश्यकता है और इसके लिये सभी हितधारकों को सक्रियता के साथ कार्य करना चाहिए।

वह हि.प्र. उच्च न्यायालय में स्वास्थ्य विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निःशुल्क जेनेरिक दवाईयों की उपलब्धता, प्रापण तथा गुणवत्ता पर आयोजित कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में हि.प्र. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस त्रिलोक चौहान, जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर, जस्टिस अजय मोहन गोयल, जस्टिस संदीप शर्मा भी मौजूद रहे।

जस्टिस संजय करोल ने कहा कि गांव के गरीब व बेसहारा मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में ही मूल उपचार सुविधा मिल जानी चाहिए, लेकिन यह चिंता की बात है कि गरीब मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे को रेफर किया जाता है, और अंततः मरीज कई बार इलाज से वंचित तक रह जाता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर के अस्पतालों में आवश्यक जीवन रक्षक

दवाईयां उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों को भी अपने व्यवसाय का ईमानदारी के साथ निर्वहन करना चाहिए, ताकि कोई पीड़ित व्यक्ति अव्यवस्था का शिकार न बने।

उन्होंने कहा कि 108 राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा में भी सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा योजनाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिये व्यापक जागरूकता अभियान की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रधान सचिव स्वास्थ्य प्रबोध सक्सेना ने स्वागत किया तथा स्वास्थ्य विभाग की गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में 2083 स्वास्थ्य संस्थान कार्यरत है, जिनमें 1700 के करीब चिकित्सक लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पांच मेडिकल कॉलेज है तथा छठा कालेज हमीरपुर में शीघ्र आरंभ किया जाएगा। इसके अलावा एम्स जैसा बड़ा संस्थान राज्य की स्वास्थ्य जरूरतों को निश्चित तौर पर पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मानक देशभर में श्रेष्ठ हैं। शिशु मृत्यु दर 68 से 25 तक आई है। प्रजनन दर 2.1 भारत में है जबकि प्रदेश की 1.7 है। राज्य सरकार प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च का 44.3 प्रतिशत खर्च कर रही है।

प्रधान सचिव ने कहा कि असंक्रमित बीमारियां अधिक हो रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 6 डायलासिस इकाईयों की स्थापना कर दी गई है जबकि सात और स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां प्रत्येक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास टैबलेट उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 कैंसर उपचार इकाईयां को क्रियाशील बनाया गया है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की।

प्रबोध सक्सेना ने राज्य में जेनेरिक दवाईयों की उपलब्धता तथा वितरण पर भी चर्चा की। हि.प्र. उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता अशोक शर्मा, पूर्व महाधिवक्ता श्रवण डोगरा ने भी अपने विचार रखें तथा बहुमूल्य सुझाव दिये।

विशेष सचिव स्वास्थ्य एवं प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पंकज राय ने धन्यवाद किया। आईजीएसी के डा. राजीव रैणा ने जेनेरिक तथा ब्राडिड दवाओं में अंतर व गुणवत्ता बारे जानकारी देते हुए कहा कि वास्तव में इन दोनों की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है।

डा. गोपाल बेरी, उपनिदेशक स्वास्थ्य ने निशुल्क दवा नीति तथा इनके प्रापण पर विस्तृत प्रस्तुति दी जबकि राज्य दवा नियंत्रक नवनीत मरवाह ने दवाओं के प्रापण, वितरण में गुणवत्ता आश्वासन पर अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि भारत में उपलब्ध हर तीसरी दवा का निर्माण हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है।

कार्यशाला में हि.प्र. उच्च न्यायालय के अधिकारी, स्वास्थ्य निदेशक डा. बलदेव ठाकुर, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि, चिकित्सक, विधि विश्वविद्यालय व कालेजों के विद्यार्थी तथा अन्य हितधारक मौजूद रहे।

राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा ने साढ़े दस लाख आपात मामलों में पहुंचाई राहतःविपिन परमार

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने राज्य में राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा की प्रगति व गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्ष, 2010 में राज्य में आरम्भ की गई इस सेवा से स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि इस सेवा को आरम्भ करने का उद्देश्य मरीज को आपातकाल के दौरान तुरन्त प्राथमिक चिकित्सा उपचार उपलब्ध करवा कर समीपवर्ती अस्पताल तक पहुंचाना है। सेवा के माध्यम से अभी तक 10,38,891 आपातकालीन मामलों को पंजीकृत किया गया है, जिनमें 10,09,110 चिकित्सा संबंधी मामले, 23,929 पुलिस से जुड़े मामले तथा 5852 मामले आगजनी की घटनाओं से जुड़े हैं और सभी मामलों में सफलतापूर्वक निवारण कर जनता को राहत पहुंचाई गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न भागों में हर चौथे मिनट में 108 एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है, हर एक घण्टे आपात में फंसी एक जिन्दगी का बचाव इस एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से होता है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए यह सेवा वरदान साबित हुई है। अभी तक 2,06,027 गर्भ संबंधी मामलों में महिलाओं को राहत पहुंचाई है। यह सेवा शहरी क्षेत्र में औसतन 12 मिनट जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 35 मिनट के भीतर पहुंचकर मरीज को अस्पताल तक पहुंचाती है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 102 राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा आरम्भ की गई है। यह सेवा मां व शिशु को अस्पताल से घर तक निःशुल्क पहुंचाती है। वर्तमान में 126 एम्बुलेंस के माध्यम से मातृ-शिशु को सेवा प्रदान की जा रही है। अभी तक कुल 158737 ड्रॉपबैक मामलों में सेवा प्रदान की गई है।

परमार ने कहा कि राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बाईक एम्बुलेंस सेवा आरम्भ की गई है। यह सेवा फस्ट रिस्पांडर बाईक के नाम से भी जानी जाती है और हिमाचल प्रदेश उत्तरी भारत का पहला राज्य है जहां इस सेवा को आरम्भ किया गया है। इस सेवा की सुविधा आपात के दौरान 108 नम्बर पर कॉल कर प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जहां चौपहिया वाहन नहीं पहुंच पाते, ऐसे क्षेत्रों में एम्बुलेंस बाईक आपात के दौरान मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाती है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक एंबुलेंस में निर्धारित मापदण्डों के अनुरुप 31 दवाईयां, दो स्ट्रेचर व अन्य आपात उपकरणों की हर समय उपलब्धता सुनिश्चित बनाई जाए। उन्होंने कहा कि वह स्वयं समय-समय पर इन वाहनों का निरीक्षण करते हैं। उन्होंने इस संबंध में संचालन कंपनी को कड़े निर्देश भी जारी किए हैं।

फोरलेन परियोजनाओं की हर तीन माह में होगी समीक्षाः मुख्यमन्त्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा क्रियान्वित की जा रही सभी फोरलेन परियोजनाओं की प्रगति की प्रत्येक तीन माह के बाद समीक्षा करेगी ताकि यह सुनिश्चित बनाया जा सके कि परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी हों। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने एनएचएआई के अधिकारियों के साथ किरतपुर-नेरचौक- पंडोह- कुल्लू- मनाली तथा परवाणु-शिमला फोरलेन सड़कों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने में क्रियान्वयन एजेंसियां को पूरा सहयोग प्रदान करेगी। लेकिन क्रियान्वयन एजेंसियां की यह जिम्मेवारी होगी कि लक्ष्यों को निर्धारित समयवधि में पूरा करें।

उन्होंने कहा कि इन दोनों मुख्य

राजमार्गों पर पर्यटक वाहनों की भीड़ है, इसलिए यह सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए कि निर्माण कार्य इस ढंग से किया जाए, जिससे सैलानियों तथा आम लोगों को कम से कम असुविधा हो। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के जिन हिस्सों को स्वीकृतियां प्रदान की जा चुकी हैं उनके कार्यों में तेजी लाई जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्य मापदण्डों के अनुरूप किया जाना चाहिए और गुणवत्ता को लेकर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। उपयोगिता और स्थानांतरण अनुमानों की मंजूरी में देरी पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला उपयुक्त अधिकारियों के साथ शीघ्र उठाया जाना चाहिए ताकि कार्य शुरू करने में अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सके।

जय राम ठाकुर ने कहा कि फोरलेन क्रियान्वयन एजेंसियों को सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए कि इन परियोजनाओं के कारण पर्यावरण को कम से कम क्षति हो।

अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण अनिल खाची ने इन परियोजनाओं में की गई प्रगति के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया।

प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तम्भःमुख्यमन्त्री

शिमला/शैल। प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है और एक मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रेस का स्वतंत्र व निडर होना अनिवार्य है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने चंडीगढ़ में हिन्दुस्तान टाईम्स की 18वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर सम्बोधित करते हुए कही। जय राम ठाकुर ने कहा कि हिन्दुस्तान टाईम्स के चंडीगढ़ संस्करण ने अस्तित्व में आने के 18 वर्षों के दौरान क्षेत्र के पाठकों के दिलों में विशेष स्थान बना लिया है। उन्होंने कहा कि अखबार अपनी निष्पक्ष और स्वतंत्र रिपोर्टिंग के चलते व्यावसायिकता के क्षेत्र में आदर्श के रूप में उभरा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया को विकासात्मक रिपोर्टिंग, विशेषकर ग्रामीण मुद्दों की अधिक से अधिक कवरेज करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान टाईम्स ने तीन पड़ौसी राज्यों को पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिये एक उपयुक्त मंच प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिन्दुस्तान टाईम्स की स्थापना 1924 में की गई थी और इन वर्षों के दौरान यह समाचार पत्र निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता के प्रतीक के तौर पर उभरा है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ संस्करण अपनी व्यस्कता तक पहुंच गया है और इसके साथ ही अखबार की जिम्मेवारियां भी कई गुणा बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में हिन्दुस्तान टाईम्स ने न केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखा है, बल्कि अनेक क्षेत्रों में नए आयाम हासिल किए हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रेस क्लब चण्डीगढ़ को पांच लाख रुपये की राशि की घोषणा भी की। हिन्दुस्तान टाईम्स के संपादक रमेश विनायक ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

मुख्यमन्त्री ने किया जस्टिस लोया मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने जस्टिस लोया मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि न्यायामूर्ति लोया की मृत्यु पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों की पोल खोल दी है। कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक राज्यों में चुनाव हार रही है और अधिकांश राज्यों से उसका सफाया हो चुका है। इससे निराश होकर कांग्रेस कई प्रकार की साजिशें रच रही है जिनसे पर्दा उठता जा रहा है।

उन्हांने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायामूर्ति लोया की मृत्यु को प्राकृतिक मौत बताया है और इस संदर्भ में दाखिल की गई पीआईएल को खारिज करते हुए कहा है कि यह याचिका राजनीतिक कारणों से प्रेरित थी, जिसे बदले की भावना से दाखिल किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालय ने यह भी कहा है कि यह याचिका एक षड़यंत्रकारी याचिका थी, जो पूर्णतः राजनीति से प्रेरित है। न्यायालय ने कहा है कि इन याचिकाओं के माध्यम से देश की न्याय व्यवस्था विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय को बदनाम करने का षड़यंत्र रचा गया, जो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बार-बार भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ षड़यंत्र रचकर उन्हें अपमानित करने और राजनीतिक रूप से समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन भारत की न्याय व्यवस्था ने सच को सामने रखा है और आखिरकार सत्य की जीत हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता की थी और 115 सांसदों के साथ राष्ट्रपति से भी भेंट की थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने षड़यंत्रकारी प्रयासों, देश का माहौल बिगाड़ने, अमित शाह को बदनाम करने की साजिश रचने और भारत की न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को धूमिल करने की साजिश के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जमीनी स्तर पर राजनीतिक करने में असमर्थ रहे हैं और इसी कारण न्यायालय के प्रांगण में जिस प्रकार की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका सर्वोच्च न्यायालय ने पर्दाफाश कर दिया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि गांधी परिवार हमेशा यही चाहता है कि देश के शासन की बागडोर उन्हीं के हाथ में रहनी चाहिए और अगर कोई गरीब या पिछड़ा व्यक्ति देश की सेवा करना चाहता है तो उसके खिलाफ राजनीतिक साजिश कर उसे समाप्त करने का षड़यंत्र रचा जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ अधिवक्ताओं ने अपने पेशे की मर्यादा को ध्यान में नहीं रखते हुए न्यायालय में जो आचरण किया वह भी अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है।

राज्य नीति का संबंध केवल अपने राज्य को समृद्धि प्रदान करने वाले मामलो से होता है।
.....चाणक्य

सम्पादकीय

बढ़ता सामाजिक ध्रुवीकरण समय पूर्व चुनावों का संकेत

मोदी सरकार को सत्ता में आये चार साल हो गये हैं। अगले चुनावों के लिये एक वर्ष बचा है। यदि तय समय मई 2019 से पहले यह चुनाव नही होते हैं तो। वैसे यह संभावना बनी हुई है कि शायद लोकसभा का चुनाव 2018 के अन्त तक ही करवा लिया जाये। इस संभावना का बड़ा आधार यह माना जा रहा है कि विपक्ष अब एक जुट होने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष की इस संभाविक एकजुटता का असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल चुका है। जहां सपा – वसपा के साथ आने पर योगी सरकार दोनों ही सीटों का उपचुनाव हार गयी जबकि यह सीटें मुख्यमन्त्री और उप मुख्यमन्त्री द्वारा खाली की गयी थी। यही नही इसी के साथ भाजपा राजस्थान, मध्यप्रदेश और बिहार में भी उपचुनाव हार गयी इन सारे राज्यों में भाजपा की ही सरकारें थी। वैसे मोदी सरकार लोकसभा का कोई भी उपचुनाव नही जीत पायी है। कई केन्द्रिय विश्वविद्यालयों में हुए छात्र संघो के चुनावों में भी भाजपा के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हार का सामना करना पड़ा है। इन विश्वविद्यालयों में मोदी के अपने लोकसभा क्षेत्र का बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय भी शामिल है। जहां पिछले लोकसभा चुनावों में पूरा युवा वर्ग, पूरा छात्र समुदाय बहुमत में मोदी के साथ खड़ा था वह आज वैसा ही नही रह गया है।

पिछले चुनावों में जो वायदे आम आदमी से किये गये थे वह व्यवहार में कोई भी पूरे नही हुए हैं। कालेधन को लेकर जो दावे और वायदे किये गये थे वह पूरे नही हुए हैं। मंहगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों पर सरकार एकदम असफल रही है। बल्कि इनके स्थान पर देश के सामने आया है हिन्दु मुस्लिम विवाद, फिल्म पदमावत, पाकिस्तान और चीन के साथ तनाव, गौ सेवा, गौ वध, तीन तलाक, बाबा रामदेव का योग, वन्देमारतम, राष्ट्रभक्ति और अन्त में आरक्षण। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता अदालत के फैसले से लगा प्रश्न चिन्ह सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जजों का पहली बार पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपना रोष जनता के सामने लाना। दर्जनों पूर्व नौकरशाहों द्वारा प्रधानमंत्री को एक सामूहिक पत्र लिखकर अपनी वेदना प्रकट करना। यह कुछ ऐसे मुद्दे आज देश के सामने आ खड़े हुए हैं जिनको लेकर परे सामज के अन्दर एक ध्रुवीकरण की स्थिति खड़ी हो गयी है। क्योकि यह ऐसे मुद्दे हैं जिनका देश की मूल समस्याओं पर से ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। आज रोटी, कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी आवश्यकताएं बन चुकी हैं। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थिति यह हो गयी है कि अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवा साधारण आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है क्योकि यह अपने में सेवा के स्थान पर एक बड़ा बाज़ार बन चुकी है।

अभी दलित अत्याचार निरोधक अधिनियम को लेकर आया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कैसे आरक्षण के पक्ष – विपक्ष तक जा पहुंचा है यह अपने में एक बड़ा सवाल बन गया है। लेकिन यह हकीकत है कि आरक्षण का मुद्दा अगले चुनावों में एक प्रमुख मुद्दा बनाकर उछाला जायेगा। क्योकि इसी मुद्दे पर वीपी सिंह की सरकार गयी थी और कई छात्रों ने आत्मदाह किये थे। इस समय भी ऐसा ही लग रहा है कि एक बार फिर इस मुद्दे को उसी आयाम तक ले जाने की रणनीति अपनाई जा रही है। इसका और कोई परिणाम हो या न हो लेकिन इससे समाज में ध्रुवीकरण अवश्य होगा। इस ध्रुवीकरण का राजनीतिक परिणाम क्या होगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन यह तय है कि यह सवाल अवश्य उछलेंगे और सरकार को इन पर जवाब देना होगा। फिर इन्ही मुद्दों के साथ उनाव और कटुआ जैसे कांड जुड़ गये हैं और ऐसे कांड देश के कई राज्यों में घट चुके हैं। संयोगवश ऐसे कांड अधिकांश में भाजपा शासित राज्यों में घटे हैं लेकिन इनकी सार्वजनिक मुखर निन्दा करने और इनपर कड़ी कारवाई करने की मांग में भाजपा नेतृत्व खुलकर सामने नही आया है।

इस परिदृश्य में यह माना जा रहा है कि इन सारे मुद्दों पर सरकार के पास कोई संतोषजनक उत्तर नही है। इसलिये आने वाले समय में 2019 के चुनावों तक इन मुद्दों का दंश ज्यादा नुकसानदेह होने से पहले ही मोदी इसी वर्ष चुनाव का दाव खेल दें तो इनमें कोई हैरानी नही होनी चाहिये।

हिमाचल को देश का सर्वाधिक स्वस्थ राज्य बनाने का संकल्प

हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वाधिक स्वस्थ राज्य बनाने के संकल्प को लेकर प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक को गुणात्मक स्वास्थ्य उपचार सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रही है। स्वास्थ्य संस्थानों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने के साथ – साथ चिकित्सकों व पैरा मेडिकल स्टॉफ के पदों को भरने का कार्य सरकार ने राज्य की बागडोर संभालते ही आरंभ कर दिया। ऐलोपेथी व आयुर्वेद चिकित्सकों के 500 के करीब पदों को भरने का तुरंत निर्णय लिया गया और इनमें से अधिकांश पदों को भरा भी गया। लगभग 2000 से अधिक पैरा मेडिकल स्टॉफ के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। इस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये 2302 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनमें मुख्यत: 'स्वास्थ्य में सहभागिता योजना', राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, 'मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य चिकित्सा योजना', 'हि.प्र. सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण योजना' इत्यादि शामिल हैं।

प्रदेश को स्वस्थ प्रदेश बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस वर्ष से 'मुख्यमन्त्री निरोग योजना' संचालित की जाएगी। सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण के अन्तर्गत रेण्डम रक्त शूगर परीक्षण, रक्तचाप परीक्षण, दृष्टि जाँच तथा अन्य लैब परीक्षण किए जाएंगे। इससे आरम्भिक अवस्था में ही सम्भावित समस्याओं के बारे में पता लग जाएगा तथा शीघ्र निदान एवं चिकित्सा मिलने से लम्बी अवधि तक रहने वाली बीमारियों से बचाव होगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 4.84 लाख परिवारों को सालाना 30000 रुपये तक का निशुल्क कैशलेस उपचार सुविधा प्रदान की जा रही है जबकि गंभीर बीमारियों के लिये पौने दो लाख रुपये से सवा दो लाख रुपये तक निशुल्क इलाज की सुविधा है। इसी प्रकार का लाभ 'हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना' के तहत 365 रुपये सालाना प्रीमियम पर अन्य ऐसे परिवारों को प्रदान किया जा रहा है, जो किसी भी निशुल्क स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं।

बच्चे देश का भविष्य हैं और उन्हें स्वस्थ रखना अनिवार्य है। राज्य में 'मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना' आरंभ की गई है, जिसके तहत 1500 रुपये बेबी किट के रूप में नवजात को प्रदान किए जा रहे हैं। इससे हर वर्ष लगभग एक लाख नवजात शिशु लाभान्वित होंगे और इसके लिये बजट में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

किशोरियों को निजी स्वच्छता बनाए रखने के लिये सैनिटरी नेपकिन सुगमतापूर्वक उपलब्ध होना आवश्यक है। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की किशोरियों को यह नेपकिन एक रूपया प्रति पैकेट की दर से प्रदान किया जाएगा और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा वितरित किए जाएंगे। इसके लिये चार करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

राज्य के दूर – दराज तथा पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को टैलीमेडिसिन के माध्यम से बेहतर चिकित्सा उपचार सुविधा प्रदान करवाने के उद्देश्य से राज्य के 50 स्वास्थ्य उप – केन्द्रों को टैलीमेडिसिन प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। वर्तमान में यह सुविधा लाहौल – स्पिति जिले के काजा तथा केलंग में उपलब्ध करवाई जा रही है और इस वर्ष से पांगी को भी इसके तहत शामिल किया जाएगा। प्रदेश के जरूरतमंद गरीब लोगों के स्वास्थ्य उपचार की जरूरतों को पूरा करने के लिये 'मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष' का गठन किया गया है। इसके लिये 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है।

राज्य सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पताल सुविधाओं को प्रोत्साहित करेगी। इसके लिये 'स्वास्थ्य में सहभागिता योजना' की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत यह कोई व्यक्ति अथवा चिकित्सक चिन्हित ग्रामीण क्षेत्रों में निजी एलोपैथिक अस्पताल स्थापित करता है, तो सरकार इसके लिये एक करोड़ रुपये के निवेश के लिये 25 प्रतिशत उपदान प्रदान करेगी और इसके अलावा बैंक से लिये गए ऋण पर तीन वर्षों के लिये पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान भी प्रदान करेगी। इससे ग्रामीण इलाकों में बेहतर उपचार सुविधाओं का सृजन होगा। उन्होंने ग्रामीण इलाकों की प्रगति व गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्ष, 2010 में राज्य में आरम्भ की गई इस सेवा से स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि इस सेवा को आरम्भ करने का उद्देश्य मरीज को आपातकाल के दौरान तुरन्त प्राथमिक चिकित्सा उपचार उपलब्ध करवा कर समीपवर्ती अस्पताल तक पहुंचाना है। जिनमें 10,09,110 चिकित्सा संबंधी मामले, 23,929 पुलिस से जुड़े मामले तथा 5852 मामले आगजनी की घटनाओं से जुड़े हैं और सभी मामलों में सफलतापूर्वक निवारण कर जनता को राहत पहुंचाई गई है।

राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा से स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा बदलाव आया है। राज्य के विभिन्न भागों में 198 एम्बुलेंस सेवाए तैनात हैं और हर चौथे मिनट में इसकी आवश्यकता पड़ती है, हर एक घण्टे आपात में फंसी एक जिन्दगी का बचाव इस एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से होता है। विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए यह सेवा वरदान साबित हुई है। यह सेवा शहरी क्षेत्रों में औसतन 12 मिनट जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 35 मिनट के भीतर पहुंचकर मरीज को अस्पताल तक पहुंचाती है। अभी तक 10.50 लाख आपातकालीन मामलों में सेवा का उपयोग किया गया है।

जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 102 राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा आरम्भ की गई है। यह सेवा मां व शिशु को अस्पताल से घर तक निःशुल्क पहुंचाती है। वर्तमान में 126 एम्बुलेंस के माध्यम से मातृ – शिशु को सेवा प्रदान की जा रही है। प्रत्येक एंबुलेंस में निर्धारित मापदण्डों के अनुरुप 31 दवाईयां, दो स्ट्रेचर व 21 अन्य आपात उपकरणों की हर समय उपलब्धता सुनिश्चित बनाई जा रही है। इसके अलावा, राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बाईक एम्बुलेंस सेवा आरम्भ की गई है। यह सेवा फस्ट रिस्पांडर बाईक के नाम से भी जानी जाती है और हिमाचल प्रदेश उत्तरी भारत का पहला राज्य है जहां इस सेवा को आरम्भ किया गया है।

जे. पी. नड्डा ने प्रदान किए जन स्वास्थ्य सुविधाओं को कायाकल्प पुरस्कार

शिमला/पीआईबी। 'कायाकल्प ने सभी हितधारकों के मन में 'स्वामित्व' की भावना बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वामित्व की यह भावना 'स्वच्छता के लिए प्रतिबद्धता' के रूप में परिवर्तित हुई है।' उक्त बातें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा ने स्वच्छता और साफ-सफाई के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए जन स्वास्थ्य सुविधाओं को कायाकल्प पुरस्कार प्रदान करने हेतु आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहीं।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल, स्वास्थ्य विभाग की सचिव प्रीति सूदन, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेश्वरन अय्यर तथा डीजीएचएस की डॉ. प्रोमिला गुप्ता भी कार्यक्रम में उपस्थित थी।

नड्डा ने विजेताओं को बधाई दी और कहा कि स्वच्छता अब सिर्फ एक बार की गतिविधि नहीं रह गई है बल्कि यह हमारे दैनिक कार्यों में एकीकृत हो गई है। यह हमारी आदत बन गई है। जन स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में समुदाय के विश्वास को जीतने में कायाकल्प ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने आगे कहा कि अस्पतालों द्वारा स्वच्छता, साफ-सफाई और संक्रामक नियंत्रण गतिविधियों के प्रति दिखाए गए उत्साह को निरंतर जारी रखा जाना चाहिए।

'मेरा अस्पताल' आईसीटी आधारित ऐप है। इस ऐप के माध्यम से मरीज अस्पताल में प्राप्त सेवाओं को साझा कर सकते हैं। नड्डा ने कहा कि 1000 सरकारी अस्पतालों को इस सुविधा से जोड़ा गया है। मरीज स्वच्छता, साफ-सफाई, अस्पताल कर्मियों के व्यवहार आदि से संबंधित अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। हम जन स्वास्थ्य सुविधा के अनुभव की गुणवत्ता के प्रति एक आदर्श बदलाव ला रहे हैं। इससे जन स्वास्थ्य प्रणाली के उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी होगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि आयुष्मान भारत के शुभारंभ होने के बाद स्वास्थ्य महत्वपूर्ण बिन्दु बन गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन लगभग 50 करोड़ लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा। स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। स्वास्थ्य व कल्याण केंद्र गैर संक्रमण रोगों, मानसिक रोगों, दांतों की देखभाल से संबंधित सुविधाएं प्रदान करेगा। सरकार ने मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा कैंसर जैसी बीमारियों के लिए सार्वभौमिक जांच शुरू की है।

अपने संबोधन में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अस्पतालों में स्वच्छता सिर्फ सौंदर्य व मरीजों की संतुष्टि से संबंधित नहीं है बल्कि यह अस्पताल से प्राप्त संक्रमण की घटनाओं की संख्या में कमी करता है। उन्होंने आगे कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के सहयोग से स्वच्छता व साफ-सफाई के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। स्वास्थ्य मंत्रियों ने विभिन्न श्रेणियों विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। केंद्र सरकार अस्पताल श्रेणी में 2.5 करोड़ रुपये का पहला पुरस्कार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश को दिया गया है। इस श्रेणी में 1.5 करोड़ रुपये का दूसरा पुरस्कार पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ को दिया गया। 50 लाख रुपये का सराहना पुरस्कार जेआईपीएमईआर, पुडुचेरी तथा सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली को दिया गया। एमजीआईएमएस, वर्धा को प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया गया।

ग्रुप बी श्रेणी में 1.5 करोड़ रुपये का पहला पुरस्कार एनईआईजीआर आईएचएमएस, शिलांग को दिया गया जबकि इसी श्रेणी में एक करोड़ रुपये का दूसरा पुरस्कार एम्स, भुवनेश्वर को मिला। 50 लाख रुपये का सराहना पुरस्कार एनआईएमएचएएनएस, बैंगलुरू, एम्स, ऋषिकेश, एम्स रायपुर, एनआईटीआरडी, नई दिल्ली तथा एम्स भोपाल को दिया गया। एम्स जोधपुर को प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ।

जे. पी. नड्डा ने संबंधित राज्यों के जिला अस्पतालों, पीएचसी तथा सीएचसी विजेताओं को भी पुरस्कार प्रदान किए।

समारोह में जे. पी. नड्डा और अनुप्रिया पटेल ने कायाकल्प काफी टेबल बुक, रोगी सुरक्षा फेमवर्क तथा कायाकल्प कार्यान्वयन निर्देशिका जारी किया।

पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेश्वरन अय्यर ने कहा कि भारत में स्वच्छता एक क्रांति बन गई है। स्वच्छता और साफ-सफाई जन आंदोलन बन गए हैं। ये स्वास्थ्य से निकटता से जुड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग की सचिव प्रीति सूदन ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वच्छता, साफ-सफाई और कचरा प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। कायाकल्प समारोह के साथ मंत्रालय का स्वच्छता पखवाड़ा 2018 भी समाप्त हुआ। मंत्रालय ने एक अप्रैल से 15 अप्रैल, 2018 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। जन स्वास्थ्य सुविधाओं को दिए जाने वाले कायाकल्प पुरस्कार की स्थापना स्वच्छ भारत अभियान के तहत 15 मई, 2015 को की गई थी। यह पहल 2015 में जिला अस्पतालों तथा 10 केंद्र सरकार संस्थानों के साथ शुरू की गई थी। 2016 में सीएचसी, एसडीएच, पीएचसी तथा 6 नए एम्स को जोड़ा गया। पिछले वर्ष शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं तथा 21 केंद्र सरकार संस्थानों को स्वच्छता के इस मिशन से जोड़ा गया। इस समारोह में स्वास्थ्य विभाग के एएस संजीव कुमार, एएस एंड एमडी मनोज झालानी तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

स्वास्थ्य कवरेज योजनाओं का दायरा व्यापक होः उपराष्ट्रपति

शिमला/पीआईबी। उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि ऐसी स्वास्थ्य कवरेज योजनाओं को बनाने की जरूरत है, जो युवाओं, वृद्धजनों तथा दिव्यांग व्यक्तियों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को कवर कर सकें। नायडू गुवाहाटी में 3.2 करोड़ लोगों की गुणवत्ता संपन्न चिकित्सा सेवा तक पहुंच के लिए असम सरकार के अटल अमृत अभियान लांच करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर असम के राज्यपाल प्रो. जगदीश मुखी, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति ने निजी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा पहुंचाने के सरकारी प्रयासों में पूरक बनने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए, जो सेवा प्राप्त करने वालों के स्वास्थ्य में सुधार कर सके। लोगों को वित्तीय जोखिम से बचाया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वित्तीय नुकसान के जोखिम पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग न करना पड़े।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली से अनेक गैर-संक्रमणकारी बीमारियां हो रही है। ऐसी बीमारियों को रोकने की जरूरत है क्योंकि यह बीमारियां युवाओं को चपेट में ले रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों की ओर से अनियमित जीवनशैली के खतरों, जंक फूड के उपयोग और शराब तथा तम्बाकू की उपयोग से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता पैदा करने के प्रयास किये जाने चाहिए।

उपराष्ट्रपति ने स्कूली पाठ्यक्रमों में बदलाव पर बल दिया ताकि इनमें एनसीडी के पाठ्य भी शामिल किए जा सके। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए शारीरिक अभ्यास को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां कही संभव हो बच्चों को योगासनों की शिक्षा दी जानी चाहिए।

वामपंथी अतिवाद को रोकने के लिए लाभांश भुगतान की नई सरकारी नीति

शिमला/पीआईबी। केंद्रीय गृह मंत्रालय 2015 से वामपंथी अतिवाद (एल डब्ल्यू ई) की रोकथाम के लिए 'राष्ट्रीय नीति तथा कार्य योजना' का कार्यान्वयन करता आया है। इसमें सुरक्षा तथा विकास से संबंधित उपायों सहित बहुआयामी नीति तैयार की गई है।

नई नीति की महत्वपूर्ण विशेषताएं अहिंसा के विरूद्ध शून्य सहिष्णुता जिसके साथ विकासात्मक गतिविधियों को तीव्र करना शामिल है ताकि विकास का लाभ गरीबों और प्रभावित क्षेत्रों में संवेदनशील लोगों तक पहुंच सके। गृह मंत्रालय ने 10 राज्यों के 106 जिलों को वामपंथ अतिवाद से प्रभावित क्षेत्रों की कोटि में रखा है। इन जिलों को गृह मंत्रालय की सुरक्षा से संबंधित व्यय योजना (एसआरई) के अंतर्गत रखा गया है, जिसका उद्देश्य परिवहन, संचार, वाहनों का किराये पर लेना, आत्म समर्पण करने वाले माओवादियों को वृत्तिका देना, सेनाओं के लिए अस्थायी अवसंरचना आदि जैसे खर्चो की राज्यों को प्रतिपूर्ति करना है। 106 जिलों में से 35 जिले जो देश भर में वामपंथी अतिवादी हिंसा के 80-90 प्रतिशत के बराबर हैं, को 'अति प्रभावित जिलों' की कोटि में रखा गया है। इस कोटिकरण से संसाधनों- सुरक्षा तथा विकास दोनों से संबंधित, का केंद्रित नियोजन हो पाएगा। पिछले कुछ वर्षो के दौरान बहुत से जिलों में से छोटे जिले बनाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 106 सुरक्षा संबंधित व्यय योजना (एसआरई) वाले जिलों के भौगोलिक क्षेत्र का 126 जिलों में विस्तार किया गया है और उन अत्यधिक प्रभावित 35 जिलों को 36 जिलों में बांट दिया गया है।

पिछले 4 वर्षो के दौरान वामपंथी अतिवाद के परिदृश्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अहिंसा की घटनाओं में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है जिसमें 2013 की तुलना में 2017 में मृत्यु संबंधी मामलों में 34 प्रतिशत की कमी आई है। वामपंथी अतिवादी हिंसा का भौगोलिक विस्तार भी 2013 के 76 जिलों से सिकुड़कर 2017 में 58 जिलों तक रह गया है। इसके अलावा देश में फैली वामपंथी अतिवादी हिंसा का 90 प्रतिशत अकेले इन 30 जिलों तक सीमित है। इसके साथ ही कुछ नये जिले वामपंथी अतिवाद के विस्तार के केंद्र के रूप में उभरकर आए हैं।

गृह मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि संसाधनों का नियोजन धरातल पर आए वास्तविक बदलाव के अनुरूप हो रहा है, हाल ही में राज्यों के परामर्श से प्रभावित जिलों की समीक्षा का एक विस्तृत प्रयोग शुरू किया है। तदनुसार सुरक्षा संबंधी खर्च योजना (एसआरई) जिलों की सूची में 8 नये जिले शामिल किए गए हैं और 44 उसमें से हटा दिए गए हैं।

केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के त्रि-जंक्शन पर आदिवासी क्षेत्रों में माओवादियों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से केरल के 3 जिलों को एसआरई जिलों की सूची में शामिल किया गया है। इस तथ्य के बावजूद कि इन नये जिलों में हिंसा की शायद ही कोई घटना हुई हो, यह प्रारंभिक प्रयास है।

इस प्रयोग के परिणामस्वरूप 11 राज्यों के 126 में से 90 जिले अब इस योजना में शामिल होंगे। 'अति प्रभावित जिलों' की सूची कांट-छांट कर 36 से 30 पर आ गई है। संशोधित कोटिकरण वास्तविक वामपंथी अतिवाद परिदृश्य का ज्यादा सही प्रतिनिधित्व करता है।

कुष्ठ रोग और तपेदिक पर उच्च स्तरीय बैठक

शिमला/पीआईबी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा ने राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम की स्थिति और संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) के तहत हुई प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में अपर सचिव (स्वास्थ्य) संजीव कुमार, अपर सचिव और प्रबंध निदेशक मनोज झालानी तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान नड्डा ने जिला स्तर पर कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए रोग, इसके प्रसार और निगरानी के पहलुओं पर व्यापक रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऐसे क्षेत्रों में नए उपाय करें, जहां बड़ी संख्या में लोग इस रोग से पीड़ित हैं। वे राज्यों में कुष्ठ रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रभावी अभियान भी चलाएं। तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए नड्डा ने सभी हितधारकों से आग्रह किया कि वे 2025 तक भारत को तपेदिक मुक्त बनाने के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने हेतु एकजुट हों। उन्होंने कहा कि समुदायों में जागरूकता फैलाने की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि विभिन्न राज्यों में टीबी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए तपेदिक से निजात पाए 'टीबी चौम्पियंस' की पहचान की जा सकती है। टीबी के निवारण के लिए नवीन तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रोग की स्थिति और इससे निपटने की तैयारी का आंकलन करने तथा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को तकनीकी दिशा-निर्देश देने के लिए वे विभिन्न राज्यों का नियमित निरीक्षण दौरा करें।

जिलों के विकास में तेजी के लिए तीन प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि की योजना

शिमला/पीआईबी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने राष्ट्रीय स्तर पर विकास सुनिश्चित करने के लिए जिलों के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रभु ने इसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में जिलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा जिला स्तर से शुरु की जाने वाली समग्र विकास प्रक्रिया के लिए सहभागी तंत्र के माध्यम से एक व्यापक जिला योजना बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि संसाधनों और सूचनाओं को अपने तक सीमित रखने की सोच से परे जाकर संसाधन आधारित योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने की आवश्यकता है। जिला स्तर पर अतिरिक्त तीन प्रतिशत की वृद्धी से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 5 खरब अमरीकी डॉलर का लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित हो सकेगा। इस योजना से कृषि क्षेत्र में फसल पद्धति की मैपिंग सहित जिलों के संसाधनों और उसकी शक्तियों के आधार पर सरकारी हस्तक्षेप किया जा सकेगा। इससे सूक्ष्म, मध्यम और मझौले उद्योगों और जिलों के लिए उपयुक्त सेवाएं, कौशल विकास पहल, व्यवसाय सुगम बनाने, ऋण की उपलब्धता, सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रयासों के समायोजन के साथ ही योजना को लागू करने में राज्य सरकारों और जिला प्रशासन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।

यह पहल 6 जिलों से शुरू होगी, जिसमें महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, बिहार में मुजफ्फरपुर, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और हिमाचल प्रदेश में सोलन शामिल हैं। योजना की संरचना और क्रियान्वयन की निगरानी के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा। केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। चयनित राज्यों के लिए इस योजना की रूपरेखा उन राज्यों के भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) तैयार करेंगे। योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर एक क्रियान्वयन समिति का प्रस्ताव किया गया है। समिति का नेतृत्व जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट करेंगे।

अनछुएं पर्यटन गणतव्यों को विकसित करने पर खर्च किए जाएंगे 50 करोड़: मुख्यमंत्री

शिमला / शैल राज्य सरकार प्रदेश के अनछुएं क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करेगी, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट चिन्हित किया गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मण्डी जिला के सिराज विधानसभा क्षेत्र के छत्तरी में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए दी। मुख्यमंत्री ने 3.21 करोड़ रुपये की लागत से पेंडापाणी गटू सड़क तथा 4. 70 करोड़ रुपये की लागत से बड़योगी से लस्सी सड़क के स्तरोन्नयन का भूमि पूजन किया।

उन्होंने कहा कि 7.20 करोड़ रुपये खर्च कर गारागुशैणी से बागराछत्तरी सड़क पर मैटलिंग का कार्य किया जाएगा। टिप्परी – भजौणी सड़क की मैटलिंग तथा टारिंग पर 3. 17 करोड़, जबकि भजोरी से चवोग सड़क के निर्माण पर 5.48 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री का छत्तरी हैलीपैड तथा मुख्य बाजार छत्तरी में आने पर भव्य स्वागत किया गया। हैलीपैड से मगरू महादेव मन्दिर परिसर छत्तरी सड़क के दोनो तरफ हजारों की संख्या में लोग खड़े थे तथा उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के उपरान्त क्षेत्र के अपने पहले दौरे के दौरान अपने चेहते नेता पर फूलों की वर्षा की।

ठाकुर ने क्षेत्र के लोगों के समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र सिद्धांत 'शिखर पर सिराज' है तथा पहली बार जिला मण्डी से प्रदेश को मुख्यमंत्री मिला है। उन्होंने कहा कि वह

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के भी आभारी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रवाद तथा टोपी की राजनीति के दिन अब समाप्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के प्रत्येक भाग तथा क्षेत्र का सन्तुलित एवं चहुमंखी विकास सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की पहली मंत्रिमण्डल बैठक में सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्राप्त करने के लिए बिना किसी आय सीमा के वरिष्ठ नागरिकों की योग्यता आयु को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया। इस निर्णय से लगभग 1.30 लाख वद्धजनों को लाभ मिला तथा राज्य कोष पर 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए छत्तरी में उप – तहसील खोली है। कुछ राजनैतिक विरोधियों द्वारा क्षेत्र का विकास न देख पाने की स्थिति में जंजैहली मामले को अनावश्यक उठाया गया।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 – 19 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट में सभी लोगों के कल्याण के लिए 30 नई योजनाएं शामिल हैं, जो अपने आप में एक रिकार्ड है। सरकार ने गौ सदनों की देखभाल के लिए मन्दिरों की आय का 15 प्रतिशत हिस्सा उपयोग करने के अतिरिक्त शराब की प्रत्येक बोतल पर एक रुपये सैस लगाने का निर्णय भी लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कृपा पाने का सौभाग्य मिला है तथा उन्होंने लोक सभा चुनाव – 2019 में भी भाजपा को समर्थन देने के लिए लोगों से आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने छत्तरी बस स्टैंड के लिए 20 लाख रुपये, शिमला से छत्तरी के लिए बस सेवा, छत्तरी विश्राम गृह के लिए 16 लाख रुपये, छः पंचायतों के लिए प्रत्येक को 15 लाख रुपये तथा महिला मण्डल छत्तरी को तीन लाख रुपये देने की घोषणा की।

ठाकुर ने छत्तरी के प्रसिद्ध 'मगरू महादेव' मंदिर में पूजा की।

भाजपा शक्ति केन्द्र बागड़ाथाच ने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए एक लाख रुपये का चौक भेंट किया।

इस अवसर पर विभिन्न संघों, संगठनों तथा मंचों द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया।

करसोग के विधायक हीरा लाल ने कहा कि जय राम ठाकुर को लगातार पांचवीं बार चुनने के लिए सिराज क्षेत्र के लोग बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश जय राम ठाकुर जैसे ईमानदार तथा समर्पित व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में पाकर धन्य हुआ है। उन्होंने कहा कि जय राम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश नई ऊंचाईयों को छूने के लिए तैयार है। उन्होंने अपनी पंचायत की विभिन्न विकासात्मक मांगों के बारे विस्तृत जानकारी दी।

आनी के विधायक किशोरी लाल ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित बजट में 30 नई योजनाओं से मुख्यमंत्री की प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से झलकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के 100 दिन के कार्यकाल के दौरान अभूतपूर्व पहल व विकासात्मक कीर्तिमान दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा।

भाजपा सिराज मण्डल के अध्यक्ष शेर सिंह का स्वागत करते हुए कहा कि सिराज के लोगों की मुख्यमंत्री से बड़ी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जय राम ठाकुर के मुख्यमंत्री बनने से क्षेत्र में प्रगति व खुशहाली का नया दौर आरम्भ हुआ।

जिला भाजपा के उप – प्रधान जोध सिंह ने इस अवसर पर कहा कि पूरा जिला व विशेषकर सिराज क्षेत्र जय राम ठाकुर को प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर पाकर प्रफुल्लित है। उन्होंने मुख्यमंत्री से क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया।

इस अवसर पर ग्राम पंचायत छत्तरी के प्रधान अजीत राणा ने मुख्यमंत्री तथा अन्य गणमान्यों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री क्षेत्र की विकासात्मक आवश्यकताओं से भलीभांति परिचित हैं। छत्तरी ग्राम पंचायत की पूर्व प्रधान रीतू शर्मा ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'गुड़िया हैल्पलाईन' आरम्भ करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री के ओ.एस.डी. शिशु धर्मा, मण्डी के उपायक्त रूगवेद ठाकुर, पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

स्कूल बसें नहीं दौड़ पाएंगी 40 की.मी. प्रति घंटा की रफ्तार से ज्यादा, दुर्घटना संभावित स्थल होंगे चिन्हित

शिमला / शैल। नूरपुर के दर्दनाक सड़क हादसे से सबक लेते हुए कांगड़ा जिला प्रशासन ने चिन्हित दुर्घटना संभावित स्थलों (ब्लैक स्पॉट) को प्राथमिकता से ठीक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूली वाहन चलाने को लेकर सख्त हिदायतें जारी की है। प्रशासन ने कहा कि स्कूल वाहन की गति को 40 कि. मी. प्रति घंटा की रफ्तार पर नियंत्रित करने के लिए बसों में स्पीड गवर्नर लगवाने और स्कूली वाहनों में जीपीएस लगवाये के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

अभिभावकों को जागरूक होने की जरूरत: जिलाधीश संदीप कुमार ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा मामलों को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने स्कूल बसों के संचालन के लिए तैयार मानक प्रक्रियाओं का पालन तय करवाने पर जोर देते हुए अभिभावकों और संबंधित लोगों को जागरूक होने की बात कही।

एचआरटीसी के चालक करेंगे ब्लैक स्पॉट चिन्हित: संदीप कुमार ने जिलाभर में चिन्हित दुर्घटना संभावित स्थलों 'ब्लैक स्पॉट' को प्राथमिकता पर ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने एचआरटीसी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि 'ब्लैक स्पॉट' चिन्हित करने में बस चालकों की भी मदद लें और चालकों को यह हिदायत दें कि वे बस चलाते समय उनके ध्यान में आए दुर्घटना संभावित स्थलों के बारे में उन्हें सूचित करें।

वैध ड्राइविंग लाइसेंस और वर्दी होना जरूरी: उपायुक्त ने कहा कि परिवहन विभाग के लिए भी मानक संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी यह तय करें कि वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और निर्धारित वर्दी हो। स्कूली वाहन पीले रंग से रंगें हों। स्कूल बसों में स्कूल का नाम तथा पता प्रदर्शित करना अनिवार्य है। बच्चों की सुरक्षा के लिए बसों की खिड़कियों में सलाखें लगी होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि स्कूल बसों में बच्चों के बैग रखने के लिए विशेष जगह, अग्निशामक तथा प्राथमिक उपचार पेटी रखना अनिवार्य है। स्कूली वाहनों में पीछे, सामने तथा बीच में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि स्कूल बस में कंडक्टर सहायक या परिवहन वार्डन होना चाहिए।

स्कूल बस परमिट बस पर चिपकाना अनिवार्य: शिक्षा विभाग द्वारा जारी शैक्षणिक संस्थान परमिट को स्कूल बसों में तथा प्राईवेट सेवाएं देने वाले वाहनों में चिपकाया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सूची नाम सहित वाहन में दर्शाई होनी चाहिए। बसों में हैल्प लाइन नम्बर 1098 अंकित किया जाना तथा रूट चार्ट दर्शाना अनिवार्य है।

उपायुक्त ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे स्कूली वाहनों अथवा स्कूल संबध निजी वाहनों में बच्चों को स्कूल भेजते हुए यह सुनिश्चित करें कि बच्चे तय स्थान से ही चढ़े अथवा उतरें तथा वे अपने पास वाहन चालक तथा परिवाहक की जानकारी भी रखें।

इस अवसर पर अवसर पर पुलिस अधीक्षक संतोष पटियाल, आरटीओ मेजर विशाल शर्मा, एसडीएम धर्मशाला धर्मेश रामोत्र, एचआरटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक पंकज चढा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

शिमला हेलीपोर्ट का एक वर्ष के भीतर निर्माण के निर्देश: मुख्यमंत्री

शिमला / शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शिमला के समीप ढली बाईपास पर प्रस्तावित हेलीपोर्ट स्थल का दौरा किया।

उन्होंने हेलीपोर्ट का निर्माण शुरू करने के लिए शीघ्र निविदाएं आमंत्रित करने तथा एक वर्ष की निर्धारित समय सीमा के भीतर इसका निर्माण कार्य पूरा के लिए पर्यटन विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने हेलीपोर्ट के प्रस्तावित स्थल के लिए लोक निर्माण विभाग को सम्पर्क सड़क की मुरम्मत करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में हेलीपोर्ट राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक उपयुक्त प्लेटफार्म साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों के विस्तार के लिए अतिरिक्त प्राथमिकता प्रदान कर रही है, जिसके लिए बुनियादी सुविधाएं व आधारभूत संरचना सुदृढ़ की जाएगी।

मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन मनीषा नन्दा तथा पर्यटन, लोक निर्माण विभाग व जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

धर्म के दुकानदारों को मिल रहा है भगवा राजनीति का लाभ

शिमला / शैल। भगवा राजनीति का पूरा पूरा लाभ देशभर के धर्म के दुकानदारों को मिल रहा है। हिन्दु – मुस्लिम विवाद, आरक्षण, पदमावती, पाकिस्तान, गौ सेवा, गौवध, तीन तलाक, बाबा रामदेव योग, वंदेमातरम, राष्ट्रभक्ति के नाम पर पूजा पाखण्ड, भक्ति आदि का लाभ मिल रहा है। नेताओ को मौके पर पंडेपुजारियों को भी इस वर्ष सक्रांति के मौके पर इलाहाबाद के माघ मेले में रिकॉर्ड संख्या मे अन्धे भक्तों ने गंगा यमुना में डुबकी लगाई।

यह सेवा ईश्वर की या जनता की नहीं यह भक्तों ने खुद की सेवा भी नहीं की बल्कि यह संवा की गई निठल्ले हजारों साधुओं, पुजारियों, पंड़ों, पाखंडियों की, फूल पत्ते बेचने वाले दुकानदारों की, खाना परोसने वाले दुकानदारो की और बस मालिको की हरेक अन्धे भक्त ने दिल खोल कर अपनी जेब ढ़ीली की ताकि उसके खाते में पुण्य जमा हो जाए व भरने के बाद उसे स्वर्ग मिले और जिते जी धनधान्य उपर से टपक कर उसकी झोली मे आ गिरे।

इस बार 1.55 करोड़ अन्ध भक्तों ने 2 दिनों में पानी में डुबकी लगाकर इस बहकावे पर मुहर लगाई कि इसी से और केवल इसी से उनका कल्याण होगा, ये 1.55 करोड़ लोग जहां भी जो काम करते है, उसके प्रति उनकी निष्ठा उतनी नहीं होती जितनी इस पाखण्ड के प्रति कि डुबकी लगाने से ही कुछ पा सकेंगे।

भारत सरकार इसे सफल बनाने के लिए वर्षो से करोड़ो अरबों रूपये खर्च करने पर वचनबद्व है। सरकारें टेक्स से इकट्ठा पैसा अंधे भक्तों पर इस तरह खर्च करती है मानो भारत विकास मॉड़ल की कुंजी यही है। भगवा राजनीति का उदेश्य इसी तरह का पर्यटन को बढ़ावा देना है, ताकि लोग घुमने के बहाने दान दक्षिणा दें और एक संकुचित विचार धारा के गुलाम बने रहें।

धर्म के नाम पर कितनी ही सभ्यताओं ने बडें विशाल निर्माण किए है तो साथ ही लाखों नही अरबों को मौत के घाट उतारा भी है। धर्म ने सुरक्षा देने को ऐसा माया जाल बुन रखा है कि हर व्यक्ति का दिमाग तर्क के प्रति बेहोश हो जाता है। विज्ञान और तकनीक की उन्नति के बावजूद अच्छे – अच्छे अस्पतालों ओर आधुनिक कारखानों मे मूर्तियों की बारात लगी रहती है। मानो मानव अपने आप में सक्ष्म नहीं है। मानव द्वारा ही निर्मित पर अब उसका लाभ उठा रहे बिचौलिये अंधभक्तों को यही बताते है कि धर्म ही अकेला स्वस्थ, सार्थक साधनसम्पन्न और संपूर्ण जीवन दे सकता है।

कुवॅर अजित प्रताप सिंह
ब्युरो चीफ, राजस्थान

छोटे राज्यों का गठन समस्या या समाधान

''कपूर राकेश''

संसद के वर्तमान सत्र में अलग ''तेलंगाना'' राज्य के गठन की मांग की केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति के पश्चात् छोटे – 2 राज्यों के गठन की कालांतर में उठती मांग न सिर्फ उग्र होकर प्रगट हुई है अपितु छोटे राज्यों के गठन की राख में दबी चिंगारी ने दावानल का रूप ले लिया है केन्द्र सरकार के गृह मन्त्रालय ने अब खुले रूप में स्वीकार कर लिया है कि 10 नये राज्यों के गठन के प्रस्ताव उसके पास पंहुच चुके हैं और उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री मायावती द्वारा प्रधानमन्त्री को लिखी पाती के अनुरूप पूर्वांचल के गठन की मांग ने इसे ।।वां नया राज्य (मांग अधीन) बना दिया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुरूप केन्द्र को जनहित में किसी भी समय किसी भी संघीय राज्य की वर्तमान सीमाओं में फेरबदल करने की स्वतन्त्रता का अधिकार प्राप्त है (प्रभावित राज्य की स्वीकृति के बिना भी) उतरांचल गठन के समय हरिद्वार व उद्यमसिंह नगर जिलों के सन्दर्भ में उपजा विवाद भी इसी कड़ी की परिणीति था। छोटे राज्यों के गठन की मांग के पीछे निहित अति महत्वकांक्षी राजनैतिक सोच व अफसरशाही के एक बडे वर्ग के ''स्वहिताय: सेवा'' के भाव का होना एक बडा कारण है। क्षेत्रिय व अल्पकालिक लाभ की पूर्ति को मात्र इसकी ढाल बना कर प्रयोग किया जाता रहा है और जाता रहेगा। अभी उत्तर प्रदेश से हरित प्रदेश, बुदेंलखण्ड व पूर्वांचल (उतराखण्ड के गठन के बाद) बिहार से मिथिलांचल (झारखण्ड के बाद) आध्र प्रदेश से रायल सीमा व तटीय आन्ध्रा (तेलगांन के बाद) महाराष्ट्र से ''विभर्द'', गुजरात से सौराष्ट्र, गोरखालैण्ड की मांग तो उठ ही चुकी है। तेलंगाना गठन की घोषणा के बाद हैदराबाद के लिए केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा, गुजरात से ''कच्छ'' का नया राज्य, जम्मूकश्मीर को भी आंध्र के फार्मूले पर विभाजित कर जम्मू, काश्मीर व लाख रूपी छोटे राज्यों में बाटे जाने की मांग भी हवा पाने लगी है।

मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात् ही भारतीय गणराज्य का अखण्ड भारत स्वरूप बिखरने लगा और कई बडे ओहदेदार और सूबा के सूबादारों ने स्वयं को स्वतन्त्र घोषित कर लिया, और 18 वीं शती के मध्य तक भारतीय उपमहाद्वीप में 600 छोटी छोटी, नवाबी और राजाई रियासते बन गई इसी समय लार्ड क्लाईव सरीखा गर्वनर जनरल भारत आया उसने प्लासी के ऐतिहासिक मैदान में नवाब सिराजुदौला को हराकर जून 1757 में अंग्रेजी हकुमत की नींव रखी जो लगभग 190 वर्ष तक कायम रही लार्ड क्लाईव की प्लासी की विजय का मूल और मुख्य कारण कुछ भारतीय नवाबों की ईर्ष्या, द्वेष व महत्वकांक्षा ही थी जिनके लिए राष्ट्रीयता की भावना की अपेक्षा लोभ व व्यक्तिगत स्वार्थ ही सर्वोपरि था परिणाम स्वरूप उन्ही की मदद से क्लाईव जीत गया ठीक वैसे ही जैसे अम्भी की मदद से सिकंदर ने पोरस को पछाड़ा था ठीक 100 वर्ष बाद यानि 1857 में अंग्रेज भारतीय राजाओं, नवाबों के दम्भ लोभ, स्वार्थ का लाभ उठाकार अपनी हकुमत पर ''राष्ट्रवाद'' के हमले को ढ़ाल बनाकर बचाने में सफल रहे।

यद्यपि छोटे राज्यों के गठन की मांग के पीछे तीव्र व इच्छित विकास एक मुख्य मुद्दा सदैव रहा है परन्तु आंकड़े गवाह हैं कि छोटे राज्यों के गठन से ही विकास की गति और दिशा सही ओर मुड़ेगी यह सत्य नहीं है छत्तीसगढ और झारखण्ड इसके गवाह हैं। उतराखण्ड के गठन के पीछे पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को आधार माना गया था परन्तु 9 वर्षो में उतरांचल से उतराखण्ड तक के सफर में राज्य सड़क बिजली पानी स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक सुरक्षा सभी मंचो पर लगभग पूर्णत: फेल राज्य बना हुआ है इसका मूल कारण राज्य पुनर्गठन के बाद वहां पर उधार की अफसरशाही सरकारी मशीनरी और अवसरवाद की राजनैतिक सोच में यू.पी. यानि यू पी की संस्कृति ही पुष्पित/प्रफुल्लित होती गई और राजधानी व राज्य के नये मुख्यालय के नियोजित विकास के प्रयास अवसरवाद व भ्रष्टाचार की राजनैतिक सोच की भेंट चढ गये पर्यटन, जलविद्युत औषधीय वनस्पति प्राकृतिक खनिज संसाधनों के दोहन की अपार संभवावना के बावजूद 9 वर्ष में उपलब्धियां नगण्य मात्र हैं।

बडे राज्यों के प्रभावशाली राजनेताओं और राज्य प्रमुखों द्वारा कई क्षेत्रों में विकास को लेकर हुये भेदभाव का परिणाम भले ही अलग राज्य के गठन की मांग के रूप में उभरा हो मगर वास्तव में इससे उस क्षेत्र विशेष के जन की अपेक्षा जननायक/नेताओं का ही भला हुआ है इसे नकारा नहीं जा सकता झारखण्ड के शिब्बूसोरेन, मधुकोडा प्रकरण इसके जीवंत उदाहरण हैं मगर अधिकांश जगहों पर जातीय समीकरणों के चलते सताच्युत हुये या हाशिए पर गये राजनेता इस प्रकार के नये राज्य गठन की मांग को हवा देते हैं यह भी एक कटु सत्य है आंध्र प्रदेश का अन्यथा काफी समृद्ध ''तेलगाना''अन्य पिछड़ा वर्ग बहुल होने के कारण अन्य उच्च वर्ग के राजनेताओं का जिन्हें किन्हीं अन्य कारणों से सत्ता मिली हो का लाडला यानि ''ब्लु आईड सन'' नहीं बन सका, परिणाम स्वरूप समन्वयित विकास के मांग पर क्षेत्र पिछड़ गया वही जनाक्रोश का मूल बना। टी.आर. एस. का आन्दोलन राजशेखर रेड्डी का निधन, व छात्र आन्दोलन को गलत ढंग से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया मात्र तात्कालिक कारण बने।

छोटे राज्यों के गठन से ''जन'' का विकास व उसकी आवाज को त्वरित व प्रभावशाली सबल मिला हो ऐसा भी नहीं हो पाया। फिर छोटे राज्यों के गठन का औचित्य क्या है जब सम्पूर्ण विश्व एक वैश्विक ग्राम (ग्लोबल विलेज बन गया है) संचारक्रान्ति और आधुनिक संचार साधानों रेल सडक वायु मार्ग के विकास ने दूरियां लगभग घटा ही नहीं मिटा दी हैं ऐसे में आज भी सडक बिजली पानी जैसी सुविधाओं से 32 प्रतिशत जनसंख्या अछुती हो तो विरोध का स्वर उठना स्वभाविक है परंतु क्या विरोधा का यह स्वर अलग प्रदेश लेकर ठंडा हो जायेगा शायद नहीं। उतरांचल को उतराखण्ड घोषित करने मात्र की मांग पूर्ति ने आम आदमी के 110 करोड़ सरकारी कोष से लिए, सिर्फ नाम परिवर्तन पर पहले नित्यानन्द सरकार फिर एन. डी. तिवारी शासित व्यवस्था में 60 विधायकों व 13 जिलों वाली राज्य व्यवस्था में यू.पी. से ससांधानों का बटंवारा तो तर्कसंगत भले ही न हो पाया हो लालबती से लगभग 240 लोग नवाजे गये।

छोटे राज्यों के गठन के पीछे पिछल्गु और सता लोलुप राजनैतिक विचार की एक बडी सोच षडयन्त्रकारी के रूप में निरन्तर कार्यरत रहती है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता परन्तु यह राष्ट्रवाद, भारतीयता व सर्वधर्म सभाव से ओतप्रोत ''राष्ट्रीय एकता'' अनेकता में एकता को विरूद्ध है पण्डित नेहरू ने भारत की सफलता के लिए इसी एकता को रीढ़ कहा मगर शायद 1955 में भाषायी आधार पर राज्य विभाजन इस देश के दुर्भाग्य का यदि पहला अध्याय था तो छोटे राज्यों के गठन की मांग को उचित मानकार मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने वाली युक्ति उसकी पुर्नावृत्ती, यही वर्तमान यू.पी.ए. के लिए भस्मासुरी साबित होगी।

सभा अलग प्रशासनिक काडर, कार्यालय पर होने वाले खर्च को यदि चिन्हित अविकसित अथवा कम विकसित क्षेत्रों की प्राथमिकता आधारित समयबद्ध विकास पर खर्च किया जाये तो सीमा विवाद नदी जल संसाधनों के बंटवारे के अनावश्यक खर्च से बचा जा सकता है छोटे राज्यों के गठन के स्थान पर क्षेत्रीय विकास परिषदों स्वायत संस्थाओं जाति धर्म भाषा के स्थान पर प्रभावित जनमानस के विकासोन्मुख कार्यो तथा अनत्योदय पर व्यय कर भारत को क्लाईवो के चंगुल में फसने से बचाया जा सकता है।

नये राज्यों के सहारे बेहतर प्रबंधन की पैरवी करने वालों के लिए अदालतों में चल रही सूबों की आपसी लड़ाई आईना दिखाने के लिए काफी है। जमीन और पानी जैसे मुद्दो पर देश के दर्जनभर राज्यों की लड़ाई तो सुप्रीमकोर्ट के दरवाजे तक आ चुकी है।

अंतहीन नजर आ रहे इन झगड़ों का आलम यह है कि मनमाफिक फैसले की आस में राज्य अदालती निर्णयों को वर्षो से चुनौती देते आ रहे है। जिद भी ऐसी कि अदालती आदेश के खिलाफ जाने में राज्यों को परहेज नहीं होता। इसी क्रम में कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे एसएम कृष्णा तो सुप्रीमकोर्ट से अवमानना मामला भी झेल चुके हैं। यह बात और है कि माफी मांगने पर कोर्ट ने बाद में मुकदमा खत्म कर दिया।

तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, केरल, महाराष्ट्र उड़ीसा, गोवा, छतीसगढ़ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली पानी के बंटवारे की लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्यों के आपसी रिश्तों की यह खींचतान उतर पूर्व में भी कम नही है। सात बहने कहलाने वाले उतर पूर्व के अधिकतर राज्य सीमाओं पर अदालती विवाद में उलझे हैं। हिमाचल प्रदेश का अन्य राज्यों के साथ बिजली बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा है। राज्यों के बीच लड़ाई में सबसे पुराना विवाद कावेरी नदी के जल बंटवारे का है जो आजादी के पहले से चल रहा है। लेकिन उतर में भी ऐसे झगडों की कमी नहीं है। पंजाब और हरियाणा सतलुज यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) को लेकर लड़ रहे हैं। पंजाब ने सुप्रीमकोट के आदेश की भी परवाह नहीं की और कानून बना कर पड़ोसी राज्यों के साथ किए गए जल बटंवारा समझौतों को ही निरस्त कर दिया। अब राष्ट्रपति ने पंजाब के कानून पर सुप्रीमकोर्ट सलाह मांगी है। हरियाणा हांसी बुटाना नहर बनाने का एक नया शिगूफा लेकर सुप्रीमकोर्ट पहुंचा है जिसका पड़ोसी राज्य विरोध कर रहे हैं। सुप्रीमकोर्ट के स्थगन आदेश से फिलहाल यथास्थिति कायम है। दिल्ली का भी यमुना के पानी को लेकर हरियाणा के साथ मुकदमा चल रहा है।

कावेरी का झगड़ा कोर्ट कचहरी होते हुए सड़क पर हिंसा तक पहुंच चुका है। कृष्णा, गोदावरी, महादेई, वंशधारा, इंद्रावती नदियों के जल बंटवारे और इन नदियों पर बने मुल्लापेरियार, पोलावरण, अलमाटी औरबभली बांध के रख रखाव व निर्माण के मुद्दे भी सुप्रीमकोर्ट में लंबित हैं।

तेलंगाना राज्य के गठन पर यू. पी. ए. विशेषत कांग्रेस के दृष्टिकोण और जल्दबाजी में लिए गये निर्णय ने पूरे देश के लिए एक नई भय वह राजनैतिक स्थिति उत्पन्न कर दी है जिसमें स्वार्थी राजनीतिक विचारधारा व संकुचित मानसिकता को बढावा मिल रहा और राष्ट्रीयता की भावना व एकता तथा अखण्डता पर खतरे के बादल मण्डराने लगे है। 1955 में भाषीय आधार पर राज्य पुर्नगठन के दुर्भाग्य पूर्ण फैसलें के समय भी तेलंगाना पृथक राज्य की मांग विद्यमान थी फिर 1966 के बाद जिस उग्र आन्दोलन में उसमानिया विश्वविद्यालय के 359 छात्रों की जान गई उस समय भी इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया परन्तु यदि उसी समय विकास के मामले में नीति निर्धारण के कुछ विशेष पहलुओं को दृष्टिगत रख कर कार्य होता तो इस चिंगारी को सुलगाने से रोका जा सकता था।

तेंलगाना पृथक राज्य का गठन भी समस्या के समाधान के स्थान पर अनेक नई समस्याओं का जनक बनेगा। हैदराबाद के तेलंगाना की राजधानी बनने या उसके स्थान पर नई राजधानी बनाने, नदी जल बंटवारे के साथ साथ गोदावरी गैस बेसिन की गैस के बंटवारे पर गम्भीर मतभेदों के अतिरिक्त अन्य संसाधनों के बंटवारे का मसला भी तेंलगाना की उद्घोषणा करने वाले के गले की फांस बन सकता है। कमोवेश सभी नये राज्यों, जिनकी मांग उठ रही है के गठन पर ऐसी गम्भीर समस्याओं के अतिरिक्त नये राज्यों के स्वपोषित व स्वायत होने तथा अपना खर्च अपने बूते कर पाने की असमर्थता व उनकी अर्थव्यवस्था की मजबूती का अभाव वो नासूर है जिसका ईलाज वर्तमान में केन्द्र सरकार के पास भी नहीं है ऐसी परिस्थिति में नये राज्यों के गठन के प्रस्तावकों/मांगकर्ताओं को राज्य पुर्नगठन आयोग के स्थान पर एक सर्वमान्य, सर्वदलीय विचार मंच के माध्यम से शिक्षित करने की जरूरत है वरना भारत पर पुन: विघटन के बाद दासता के बादल छाने का खतरा घहराता रहेगा।

लोक अदालतें विवादों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम

शिमला/शैल। लोक अदालतें विवादों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम है। इसे बोलचाल की भाषा में लोगों की अदालत भी कहते हैं। इसके गठन का आधार 1976 का 42वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत अनुच्छेद 39 – क में आर्थिक न्याय की अवधारण जोड़ी गई और शासन से अपेक्षा की गई कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए। लोक अदालतें ऐसे मंच या फोरम हैं जहॉ न्यायालय में लंबित या वादपूर्ण मुकद्में जो अदालत में दाखिल नहीं किये गए हों, का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। यह सामान्य न्यायालयों से अलग होता है, क्योकि यहॉ विवादित पक्षों के मध्य परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का सामाधान किया जाता है। इन अदालतों से वर्तमान भारतीय न्यायिक प्रक्रिया को नवजीवन मिला है, क्योंकि न्यायालयों में मुकद्में का बहुत बोझ है। लोक अदालतों में सभी दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, नागरिक मामले, भूमि विवाद, मजदूर विवाद, संपत्ति बंटवारे संबन्धी विवाद, बीमा, बिजली संबन्धी विवाद, ऐसे फौजदारी दावे जो समझौता योग्य हैं आदि का निपटारा किया जाता है।

लोक अदालतों में किसी भी प्रकार की कोर्ट फीस नहीं लगती। यदि न्यायालय में लंबित मुकद्में में कोर्ट फीस जमा करा दी गई हो तो लोक अदालत में विवाद का निपटारा हो जाने पर वह फीस वापस कर दी जाती है। इसमे दोनो पक्षकार जज के साथ स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से बात कर सकते हैं, जो कि नियमित अदालत में संभव नहीं होता है। लोक अदालतों द्वारा पारित किया गया अवार्ड (फैसला) दोनों पक्षों के लिये बाध्यकारी होता है। इसके विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालतों के माध्यम से त्वरित न्याय मिलता है व समय की बचत होती है।

राज्य में लंबित मामलों की संख्या को कम करने और पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर उन्हें हल करने के लिए, पूर्व – मुकद्मेंबाजी और लंबित मामलों के लिए पूरे प्रदेष में आज 22 अप्रैल, 2018 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। उच्च न्यायालय सहित हिमाचल प्रदेश राज्य के सभी न्यायालयों में हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष, न्यायमूर्ति संजय करोल, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में इन लोक अदालतों का आयोजन किया गया। आज की राष्ट्रीय लोक अदालत मे कुल 8885 मामलों को आपसी सुलह – समझौते के लिए लिया गया जिनमें 2159 पूर्व मुकद्मेंबाजी व 6726 लंबित मामले थे। इन्हें निपटान के लिए विभिन्न बैंचों में रखा गया। जिनमें से 3236 मामले (403 पूर्व मुकद्मेंबाजी व 2833 लंबित मामलों) का निपटारा आपसी सुलह व समझौते से किया गया। मु.18,03,05,049/- रूपये का मुआवजा भी पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से दिलाया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसी लोक अदालतें भविष्य में भी आयोजित करेगा ताकि लोगों को सुलभ व त्वरित न्याय मिले। अगली नैशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 14 – 7 – 2018 को किया जायेगा।

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

क्या अगले मुख्य सचिव के लिये वरियता को अधिमान दिया जायेगा

चौधरी के ट्रिब्यूनल में आवदेन से शुरू हुई चर्चा

शिमला/शैल। प्रदेश के मुख्य सचिव विनित चौधरी ने भी प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के प्रशासनिक सदस्य के पद के लिये आवदेन कर दिया है। उनका आवेदन अन्तिम तिथि को आया है। इस समय ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक सदस्य के दो पद खाली चल रहे हैं जिनके

लिये आवेदन मागे गये थे। इसके लिये पूर्व मुख्य सचिव वीसी फारखा ने पहले ही आवदेन कर रखा है और अब चौधरी का भी आवदेन आने से दोनों ही मुख्य सचिव रहे इन दोनों ही पदों के लिये प्राथी हो जाते हैं। इन्ही के साथ ही जुलाई 2016 में सेवानिवृत हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.सी. धीमान भी आवेदक हैं। चौधरी की सेवानिवृति इसी वर्ष सितम्बर में है और फारखा की दिसम्बर 2019 में है। सदस्य पद के लिये तीन सदस्यों का चयन मण्डल है जिसमें प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और प्रदेश के मुख्य सचिव। अब क्योंकि मुख्य सचिव स्वयं ही एक आवेदक हैं इस नाते वह इस चयन मण्डल में नही रहेंगे केवल मुख्य न्यायाधीश और ट्रिब्यूनल के चेयरमैन ही यह चयन करेंगे। माना जा रहा है कि इन दोनों पदो के लिये दोनो मुख्य सचिवों, चौधरी और फारखा का चयन तय है क्योंकि प्रशासनिक सदस्य के लिये इनसे अधिक अनुभव और किसी का नही होगा। क्योंकि चौधरी को लेकर संजीव चतुर्वेदी और प्रशांत भूषण ने जो याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर कर रखी है उसका अभी इस चयन पर प्रत्यक्षत: कोई प्रभाव नही होगा।

विनित चौधरी के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में जाने के साथ ही प्रदेश में अगला मुख्य सचिव आयेगा। यह अगला मुख्य सचिव कौन होगा इसको लेकर प्रदेश के प्रशासनिक हल्कों में अभी से हलचल शुरू हो गयी है। चौधरी 1982 बैच के अधिकारी हैं और उनके बाद 1983 बैच की वरिष्ठता में बारी आती है। प्रदेश में 1983 बैच में श्रीमति उपमा चौधरी सबसे वरिष्ठ हैं। उनके बाद डा. सिहाग आते हैं। उपमा और सिहाग दोनो की सेवानिवृति दिसम्बर 2019 में है और दोनो इस समय केन्द्र में हैं। 1984 बैच के तरूण श्रीधर, अजय त्यागी और अरविन्द मैहता तीनों ही केन्द्र में है त्यागी तो सैवी के चेयरमैन है। इनके बाद त्यागी 1985 बैच के वी.के.अग्रवाल और संजीव गुप्ता केन्द्र में हैं जबकि श्रीकांत बाल्दी और मनीषा नन्दा प्रदेश में ही हैं। बाल्दी प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त हैं तो मनीषा नन्दा अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमन्त्री हैं। दोनों ही मुख्यमन्त्री के बराबर के विश्वस्त माने जाते हैं।

इस परिदृश्य में प्रदेश के अगले मुख्य सचिव का चयन बहुत रोचक होगा। यदि वरिष्ठता को ही अधिमान देते हुए यह चयन किया जाता है तो उपमा चौधरी ही मुख्य सचिव होगी। यदि किसी भी कारण से वरियता को अधिमान नहीं मिल पाता है जैसा कि फारखा को मुख्य सचिव बनाते समय था तो फिर यह चयन मुख्यमन्त्री के निकटस्थों में से ही किसी एक पर आकर टिकेगा। प्रदेश का अगला चुनाव 2022 में होगा। इस समय 1983, 1984 और 1985 बैच के अधिकारियों में से सात अधिकारियों की सेवानिवृति 2019 दिसम्बर तक हो जायेगी। केवल तीन अधिकारियों की सेवानिवृति 2020 और 2021 में होगी। इस समय प्रदेश की वित्तिय स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है इस कठिन वित्तिय स्थिति में मुख्यमन्त्री को प्रदेश के अगले प्रशासनिक मुखिया का चयन करते हुए इस वस्तुस्थिति को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। क्योंकि प्रदेश के मुख्य सचिव, वित्त सचिव और मुख्यमन्त्री के प्रधान सचिव में सही तालमेल होना आवश्यक है। इससे पूर्व जब मुख्य सचिव के चयन में वीरभद्र के शासनकाल में वरियता को नज़रअन्दाज किया गया था तब इस नज़रअन्दाजी को चौधरी ने ही कैट मे चुनौती दी थी। लेकिन इस याचिका पर अब तक कोई फैसला नही आया है। इस याचिका में नज़रअन्दाजगी के साथ यह भी शिकायत थी कि सरकार ने उन्हें एक तरह से बिना काम के बिठा रखा है। इस पर जब कैट ने उन्हें फारखा के समकक्ष सुविधायें देने का आदेश दिया था तब चौधरी ने अपनी याचिका वापिस ले ली थी। यदि सरकार न बदलती तो शायद चौधरी का मुख्य सचिव बनना फिर सदिग्ध ही रह जाता। क्योंकि मुख्य सचिव मुख्यमन्त्री के विश्वास का ही व्यक्ति होगा यह सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह रखा है।

इस परिदृश्य में मुख्यमन्त्री के लिये अगले सचिव का चयन करना बहुत आसान नही होगा। क्योंकि अभी ही सचिवालय के गलियारों से सड़क तक यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि शीर्ष प्रशासन पर मुख्यमन्त्री की पकड़ पूरी नही बन पायी है। अभी जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष के गृह जिला ऊना और पूर्व मुख्यमन्त्री के गृह जिला हमीरपुर से जिलाधीशों को बदला गया है उससे इसी पकड़ का सन्देश बाहर आया है। क्योंकि चार माह के अन्दर ही इन दो जिलों के डी.सी. बदलना प्रशासन के लिये तो एक बड़ा संकेत हो ही जाता है क्योंकि यह भी चर्चा चल पड़ी है कि मुख्यमन्त्री के यहां से फाईलों का निपटारा होने में लम्बा वक्त लग रहा है। अभी चार माह की सरकार को लेकर ऐसी धारणाओं का पनपना कोई अच्छा संकेत नही है।

सीसीटीवी कैमरों और क्रेन प्रकरण से पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों में

शिमला/शैल। प्रदेश में बढ़ते अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर अपनी नज़र जमाये रखने के लिये 242 संवेदनशील स्थलों पर सीसीटीवी कैमरें और तीन स्पीड कैमरे स्थापित करने के लिये मई 2013 में डीजीपी कार्यालय में एक योजना तैयार की गयी। इस योजना को सरकार की स्वीकृति के लिये के भेजा गया और अगस्त में ही यह स्वीकृति मिल गयी तथा साथ एक करोड़ के धन का प्रावधान भी कर दिया गया। लेकिन यह खर्च करने से पूर्वे इस संद्धर्भ में आईटी विभाग से पूर्व अनुमति लेने की शर्त साथ लगा दी। इस पर डीजीपी कार्यालय ने आईटी को अपना प्रस्ताव भेज दिया। आईटी ने भी इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए यह शर्त लगा दी कि यह खरीद इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम से ओपन टैण्डर के माध्यम से की जाये। इसके बाद यह प्रस्ताव इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को चला गया।

इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम ने इस तरह की कोई खरीद जून 2013 में कर रखी थी। उस समय जो रेट आये थे और कैमरों की जो तकनीकी गुणवत्ता आयी थी उसी के आधार पर पुलिस की खरीद के लिये संभावित अुनमति प्रारूप तैयार कर दिया और पुलिस विभाग को भेज दिया। पुलिस ने भी उसी के आधार पर 27 कैमरों की खरीद का आर्डर इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को जुलाई 2014 में दे दिया। यह कैमर 62.74 लाख के आये और जिस फर्म ने यह सप्लाई दी थी उसी को इन्हें लगाने का काम भी दे दिया तथा फर्म ने मार्च 2015 से 2017 अप्रैल के बीच यह कैमरे स्थापित भी कर दिये। लेकिन इन कैमरों की मॉनिटरिंग लोकल इन्स्टॉलेशन स्थलों पर ही रखी गयी जबकि इन्हे ब्राडबैंड के साथ जोड़ते हुए यह किसी केन्द्रिय स्थान पर होनी चाहिये थी। इसके कारण यह कैमरे वाच्छित परिणाम नही दे पाये हैं और पूरी तरह असफल रहे हैं और इस असफलतता का कारण रहा कि पुलिस मुख्यालय जिसको यह सीसीटीवी कैमरे चाहिये थे उसने इस बारे में यह विचार ही नही किया कि उसे किस गुणवत्ता के चाहिये।

आईटी विभाग ने अपनी अनुमति में कहा था कि इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम से ओपन टैण्डर के माध्यम से यह खरीद की जाये। लेकिन निगम ने नये टैण्डर मंगवाने की बजाये फर्म को आर्डर दे दिया। निगम ने भी पुलिस विभाग से यह नही पूछा कि उसे कैस कैमरे चाहिये और न ही पुलिस ने इस पर कोई ध्यान दिया। फर्म ने कैमरे सप्लाई करके इन्स्टाल भी कर दिये और निगम ने 27 कैमरों का 62.74 लाख का बिल भी पुलिस को थमा दिया और 55.09 लाख का भुगतान भी कर दिया। लेकिन यह सब कुछ हो जाने पर भी इस पर ध्यान नही दिया गया कि जब 62.74 लाख में केवल 27 ही कैमरे आये हैं तो 242 एक करोड़ में कैसे आ जायेंगे। फिर 62.74 लाख में खरीदे गये 27 कैमरे ऐसे क्या हैं और यदि 27 कैमरों की 62.74 लाख कीमत सही है तो फिर 242 कैमरे एक करोड़ पांच लाख में आ जायेंगे यह अनुमान किसने कैसे लगा लिया। इस प्रकरण से यही प्रमाणित होता है कि पुलिस में भी अंधेर नगरी चौपट राजा का ही आलम चल रहा है।

इसी तरह का कारनामा पुलिस में हैवी क्रेन की खरीद इसमें भारत सरकार से रोड़ ट्रांसपोर्ट विभाग ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग दुर्घटना सेवा योजना के तहत प्रदेश सरकार को दस क्रेने उपलब्ध कराई थी। जिससे कि दुर्घटना में क्षतिग्रसत हुए वाहनों को उठाने में सहायता मिले। इनको चलाने व रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। इसमें पांच वर्षो तक इन क्रेनो से किये गये कार्यो की रिपोर्ट भारत सरकार को देनी थी। इन क्रेनो की खरीद के लिये जो टैण्डर आमन्त्रित किये गये थे उनमें सप्लायर पर यह शर्त लगाई गयी थी कि वह विभाग के कम से कम पांच लोगों को इन्हे चलाने की ट्रैनिंग देगा और यह ट्रैनिंग नि:शुल्क होगी।

इस योजना के तहत डीजीपी ने सितम्बर 2009 में दस हैवी क्रेनों की मांग भारत सरकार को भेजी। जिस पर भारत सरकार ने 91.14 लाख मूल्य की चार हैवी क्रेने प्रदेश को दे दी। प्रदेश में मई से अगस्त 2010 के बीच यह क्रेने पहुंची और विभाग ने इनका कांगडा, मण्डी, शिमला और सोलन चार जिलों को आवंटन कर दिया। मण्डी में इसका कुछ आंशिक उपयोग किया गया लेकन बाकी जिलों में इनका कोई उपयोग नही हो पाया क्योंकि इनको चलाने वाला कोई ट्रेण्ड कर्मचारी ही विभाग के पास नही था और विभाग ने इनके स्पलायर से किसी को ट्रेनिंग दिलाने का प्रयास ही नही किया था। इसके अतिरिक्त यह हैवी क्रेने प्रदेश की तंग और छोटी सड़कों के लिये उपयोगी हो ही नही सकती थी। भारत सरकार ने हैवी क्रेनों के साथ ही छोटी और मध्यस्तर की क्रेन लेने का विकल्प भी प्रदेश को दे रखा था। लेकिन विभाग में इस व्यवहारिकता की ओर किसी ने भी ध्यान देने का प्रयास ही नही किया। इस तरह विभाग की कार्य कुशलता के कारण सरकार के 91.14 लाख का यह निवेश भी अन्ततः शून्य होकर रह गया।

इस तरह सीसीटीवी कैमरों और क्रेन प्रकरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुलिस विभाग पब्लिक निवेश के प्रति कितना संवदेनशील रहा है।

अवैध निर्माणो पर

.....पृष्ठ 1 का शेष

अवैधताओं पर उच्च न्यायालय ने शिमला, धर्मशाला, सोलन, कसौली, कुल्लु, मनाली और कसौली में ऐसे निर्माणों के बिजली और पानी के कनैक्शन काटने के आदेश जारी किये थे। प्रदेशभर में 35000 से कुछ अधिक अवैध निर्माण के आंकड़े उच्च न्यायालय तक आ चुके हैं। चुनावी राजनीति के दवाब में चल रही सरकार ने एनजीटी के फैसले की सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की बात की है। लेकिन इसी बीच कसौली के जिन छ: होटलों के खिलाफ एनजीटी का आदेश आया था उसके खिलाफ यह होटल सर्वोच्च न्यायालय में अपील में गये थे। इस अपील पर फैसला आ गया है और एनजीटी का फैसला बहाल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि कुछ लोगों के लालच के लिये अन्य लोगों का जीवन खतरे में नही डाला जा सकता। आम आदमी के जीवन के प्रति ऐसी ही चिन्ता उच्च न्यायालय भी अपने अवैध निर्माण एक ही दिन में खड़े नही हो गये हैं और न ही संबधित प्रशासनिक तन्त्र की मिली भगत के बिना यह संभव हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध निर्माणों को गिराने के स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या जयराम सरकार सर्वोच्च न्यायालय की तर्ज पर ही प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसलों को अधिमान देकर उन पर कड़ाई से अमल करने की दिशा में आगे बढ़ेगी या फिर किसी को इसके लिये भी जनहित में अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।